रेशम विकास विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के मुख्य बिन्दु

➢ रेशम कीट के भोज्य वृक्ष का विकास

- **पौधालय स्थापना**

(क) शहतूत पौध उत्पादन — निजी एवं राजकीय क्षेत्र में पालीथीन बैग में 6 से 7 फीट से अधिक ऊॅचाई के पौध तैयार करना।

(ख) अर्जुन पौध उत्पादन — पालीथीन बैग में 4 से 5 फीट ऊॅचाई के पौध तैयार करने हेतु अर्जुन बीज का रोपण।

- **वृक्षारोपण**

(क) शहतूत पौध रोपण — निजी क्षेत्र, ग्राम समाज, वनभूमि, तालाबों/स्कूल कैम्पस, नहरों की पटरियों आदि के किनारे रिक्त स्थलों पर पौध का रोपण।

(ख) अर्जुन पौध रोपण — वनभूमि, ग्राम समाज एवं अन्य विभागों की रिक्त भूमियों पर अर्जुन वृक्षों का रोपण।

(ग) अरण्डी पौध रोपण — कृषकों की निजी भूमि पर अरण्डी बीज की बुवाई करना।

➢ रेशम कीटाण्ड उत्पादन कार्यक्रम

प्रदेश में विभागीय बीजागारों में उन्नत किस्म के रेशम कीट बीजों का उत्पादन करना एवं केन्द्रीय रेशम बोर्ड की इकाईयों से रेशम कीट प्राप्त कर कृषकों की मांग के अनुसार उपलब्ध कराना।

- **रेशम कीट पालन एवं कोया उत्पादन**

  (अ) शहतूती रेशम कीटपालन

  प्रदेश की जलवायु के अनुसार वर्ष में ग्रीष्म, मानसून पतझड़ एवं बसंत अवधि में कीटपालन कर कोया उत्पादन कराना।

  (ब) टसर रेशम कीटपालन

  प्रदेश की जलवायु के अनुसार विंध्याचल एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में अम्पतिया एवं डाबा फसल में कीटपालन कर टसर रेशम कोया का उत्पादन कराना।

  (स) अरण्डी रेशम कीटपालन

  प्रदेश के यमुना नदी के किनारे परम्परागत अरण्डी उत्पादक कृषकों के द्वारा ऐरी रेशम कीटपालन एवं कोया उत्पादन कराना।

- **रेशम कोया विपणन।**

  विभागीय रेशम कोया बाजारों के माध्यम से कृषकों द्वारा उत्पादित रेशम कोया के विपणन में सहयोग सुनिश्ति करना।

- **रेशम धागा उत्पादन ।**

  कृषकों द्वारा उत्पादित रेशम कोये का धागाकरण प्रदेश में ही कराने हेतु धागाकरण इकाईयों को प्रोत्साहित करना।

- **रेशम उत्पादन के क्रियाकलापों पर प्रशिक्षण।**

  प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर कृषकों/उद्यमियों को रेशम उत्पादन की विभिन्न क्रियाकलापों पर तकनीकी प्रशिक्षण दिलाना।

- **प्रदेश के रेशम बुनकरों को उनकी मांग के अनुसार विशुद्ध रेशम धागे की आपूर्ति राजकीय सिल्क एक्सचेंज वाराणसीके माध्यम से कराने में सहयोग।**